न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/13

रामस्वरूप आत्मज सुन्दरा जाति मीणा निवासी ग्राम जालिमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल मुकाम पावर हाउस के पास बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा।

– अपीलांट

बनाम

1. मधु बाई पुत्री रामस्वरूप पत्नी गंगाधर जाति मीणा निवासी ग्राम भदाना हाल मुकाम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
2. महेन्द्र आत्मज रामस्वरूप पत्नी गंगाधर जाति मीणा निवासी ग्राम भदाना हाल मुकाम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
3. मुकेश आत्मज रामस्वरूप पत्नी गंगाधर जाति मीणा निवासी ग्राम भदाना हाल मुकाम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
4. गीता बाई पुत्री रामस्वरूप पत्नी चन्द्र प्रकाश जाति मीणा निवासी ग्राम मांडपुर तहसील अन्ता जिला बारां हाल निवास रामनगर तलाब पाडा वार्ड नम्बर 2 सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद तहसील दीगोद जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. घनश्याम नागर– अधिवक्ता अपीलांट
2. प्रदीप मेहरा–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 4
3. पैरोकार सरकार– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5

निर्णय **दिनांक 27.02.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 40/2018 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.11.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 ने एक वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि ग्राम जालिमपुरा तहसील दीगोद मे खसरा संख्या 10 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा संख्या 43 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा संख्या 135 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 136 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा संख्या 217 रकबा 1.78 हैक्टेयर, खसरा संख्या 234 रकबा 0.26 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.90 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात पैतृक सम्पत्ति है जो प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट को विरासत मे प्राप्त हुई है, जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। उक्त आराजीया तमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का जन्म से हक अधिकार निहित है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 का उक्त विवादित आराजीयात मे प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा निहित है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण अपने उक्त हिस्से को राजस्व रेकॉर्ड मे स्वयं के नाम खातेदारी में दर्ज करवाना चाहते है । विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट की खातेदारी मे दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 उक्त आराजीयात को अन्यत्र रहन, बैचान करने पर आमादा है तथा वादीगण को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वादी संख्या 1 वर्तमान मे कारागार कोटा मे बन्द है जिसका हिस्सा उक्त भूमि मे 1/5 निहित है। उक्त हिस्से को वादी संख्या 2 बेचान नहीं करना चाहता, जिसके हिस्से की रक्षा करना सरकार का भी दायित्व है। वादी के 1/5 हिस्से की भूमि सहित सम्पूर्ण आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट रहन, बैचान या खुर्द–बुर्द करने की धमकी दे रहा है जबकि उक्त आराजीयात पुश्तैनी होने से उक्त आराजीयात मे निहित वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के 2/5 हिस्से की भूमि को पृथक से वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी मे दर्ज कर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 को 2/5 भूमि का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। साथ ही वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 के 2/5 हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे। वादीगण की काश्त मे व्यवधान नहीं करे, ऐसा कार्य न तो स्वयं करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की

पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत होना बताकर दिनांक 06.11.2019 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात मे वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक को उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय 06.11.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से प्रथम अपील न्यायालय हाजा मे मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड एडी सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को जारी रजिस्टर्ड एडी सम्मन नोटिस को एक माह से अधिक का समय हो जाने से तामील मानी जाती है, रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 स्वयं उपस्थित हुआ। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई व जानकारी के दबाव देकर राजीनामा से दावा डिक्री करवाया, जिसकी जानकारी जमीन रोड पर जाने पर व हल्का पटवारी द्वारा बताने पर दिनांक 10.10.2021 को हुई। तब वकील साहब ललित जी मालव से मिला, जिन्होने पैसा पत्रावली निकालने के लिये लेकर बाद मे आने को कहा, तत्पश्चात वकील साहब ने नकल का प्रार्थना पत्र लगाकर दिनांक 16.11.2021 को नकल लेकर दिनांक 20.11.2021 को फोन कर मुझे बुलाया। किन्तु कोरोना बीमारी के डर से व कार्य बन्द होने से सम्पर्क नहीं कर सका। दिनांक 10.02.2022 को वकील के फोन करने व कार्य चालू होना बताने पर पैसो की व्यवस्था कर अपील पेश है। अन्त मे दिनांक 06.11.2019 से दिनांक 10.02.2022 तक की अवधि की देरी को क्षमा किये जाने की प्रार्थना की।

6. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम तथा अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से फर्जी राजीनामे को आधार मानकर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसमे रेस्पोडेन्टगण का कोई स्वत्व एंव अधिकार निहित नहीं है और न ही कोई अधिकार उत्पन्न होता है। परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दस्तावेजी साक्ष्य के वादग्रस्त आराजीयात को पैतृक होना मान लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू होना मानकर रेस्पोडेन्टगण का निरन्तर अधिकार होना मान लिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। साथ ही राजीनामा भी षडयंत्र रचकर व दबाव मे लेकर रेस्पोडेन्टगण द्वारा जबरन प्रस्तुत करवाया गया है। वैसे भी विधि विरूद्ध राजीनामे के आधार पर रेस्पोडेन्टगण का वादग्रस्त आराजीयात पर प्रथम दृष्ट्या कोई अधिकार नहीं है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त आराजीयात पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का कोई जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.11.2019 खारिज किये जाने की प्रार्थना की। साथ ही अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किये जाने व अपील मे हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

7. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से खातेदारी घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। दिनांक 07.08.2018 को वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से राजीनामा तस्दीक किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय

मे प्रस्तुत किया गया तथा उक्त राजीनामे के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक को विवादित आराजीयात के 1/5 , 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। उक्त राजीनामे मे प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप के हस्ताक्षर है। उक्त राजीनामे पर पहचानकर्ता के रूप मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता के हस्ताक्षर है। दिनांक 18.10.2019 को उक्त राजीनामे को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। दिनांक 06.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उभय पक्षकारान के मध्य लिखित व तस्दीकशुदा राजीनामे के अनुसार होने व न्यायोचित होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट का यह झूठा कथन है कि उन्हे दिनांक 10.10.2021 को प्रकरण की जानकारी हुई। जब स्वयं अपीलांट व उसके अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय मे मौजूद थे तो उन्हे प्रारंभ से ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री की जानकारी थी। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है।

8. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्वक मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है तथा अपील मे हुई देरी को क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण मे सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थना–पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मियाद के बिन्दु पर तथा अपील के समर्थन व अपील के विरूद्ध बिन्दुओं पर उभय पक्षकारान के अभिकथनों पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण मे निर्णय व डिक्री दिनांक 06.11.2019 को पारित की गई । अपीलांट का यह कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को बिना सुनवाई व उसकी बिना जानकारी के दबाव देकर राजीनामे से वादपत्र डिक्री करवाया है। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र धारा 5 में वादपत्र डिक्री किये जाने की जानकारी जमीन रोड पर जाने पर हल्का पटवारी द्वारा बताने पर दिनांक 10.10.2021 को होने का कथन किया है। अपीलांट स्वयं के कथनों से प्रतीत होता है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय मे हुए राजीनामे की जानकारी थी, इसके बावजूद अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री

दिनांक 06.11.2019 की जानकारी हल्का पटवारी द्वारा बताये जाने पर दिनांक 10.10. 2021 को होने का कथन किया है , जो विरोधाभासी है तथा विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। दिनांक 18.10.2019 की आदेशिका पर अपीलांट के हस्ताक्षर है। आदेशिका दिनांक 18.10.2019 मे राजीनामा तस्दीक किया जाना तथा राजीनामा के आधार पर वादपत्र डिकी किया जाना उल्लेखित है तथा आदेशिका दिनांक 18.10.2019 मे आगामी तारीख पेशी वास्ते आदेश दिनांक 06.11.2019 की नियत किया जाना भी उल्लेखित है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी दिनांक 06.11.2019 की जानकारी अपीलांट को प्रारंभ से ही थी, इसके बावजूद अपीलांट की ओर से दिनांक 15.02.2022 को अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनिमय मे अपीलांट का यह कथन रहा है कि वह कोरोना बीमारी के डर से व कार्य बन्द होने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नही कर सका जबकि निर्णय दिनांक 06.11.2019 का है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष 2 माह में अपील किये जाने का प्रावधान है। परन्तु प्रथमतः तो निर्णय दिनांक 06.11.2019 का है जिसके लगभग 2 वर्ष 3 माह पश्चात अपील की गई तथा कोई बीमारी आदि का दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे आदेशिका दिनांक 07.08.2018 एवं आदेशिका दिनांक 18.10.2019 पर स्वयं अपीलांट रामस्वरूप के हस्ताक्षर है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रारम्भ से ही प्रश्नगत निर्णय एवं डिकी दिनांक 06.11.2019 की जानकारी अपीलांट को थी। हल्का पटवारी के माध्यम से जानकारी का कथन विश्वसनीय नहीं है। अपीलांट का कथन है कि राजीनामा व पत्रावली पर हस्ताक्षर दबाव व षड़यंत्र से करवाए गए, परन्तु अपीलांट ने तथाकथित दबाव व षड़यंत्र के समर्थन मे कोई साक्ष्य/दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किए। अधीनस्थ न्यायालय मे उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को निर्णय व डिकी दिनांक 06.11.2019 की सम्पूर्ण जानकारी थी। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मे अपील मे हुई देरी के जो कारण बताये गये है, वह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है। अपीलांट ने अपील मे हुई देरी का कोई ठोस व पर्याप्त कारण नहीं बताया है जिससे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्वयं अपीलांट ने राजीनामा तस्दीक करने बाबत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया तथा आदेशिका दिनांक 18.10.2019 पर भी अपीलांट के हस्ताक्षर है। अधीनस्थ न्यायालय मे स्वयं की प्रदत्त सहमति से इतने समय बाद मुकरने का कोई ठोस कारण अपीलांट प्रस्तुत नहीं कर पाए। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। मियाद के बिन्दु पर प्रार्थना–पत्र अस्वीकार हो जाने से प्रकरण मे आगे और गुणावगुण पर

विवेचन की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद के प्रकरण संख्या 40/2018 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.11.2019 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 27.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या– 2022/13

रामस्वरूप आत्मज सुन्दरा जाति मीणा निवासी ग्राम जालिमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल मुकाम पावर हाउस के पास बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा।

– अपीलांट

बनाम

1. मधु बाई पुत्री रामस्वरूप पत्नी गंगाधर जाति मीणा निवासी ग्राम भदाना हाल मुकाम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
2. महेन्द्र आत्मज रामस्वरूप जाति मीणा निवासी ग्राम जालिमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल मुकाम पावर हाउस के पास बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
3. मुकेश आत्मज रामस्वरूप जाति मीणा निवासी ग्राम जालिमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल मुकाम पावर हाउस के पास बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
4. गीता बाई पुत्री रामस्वरूप पत्नी चन्द्र प्रकाश जाति मीणा निवासी ग्राम मांडपुर तहसील अन्ता जिला बारां हाल निवास रामनगर तलाब पाडा वार्ड नम्बर 2 सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद तहसील दीगोद जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

वाद संख्याः 40/2018

1. मधु बाई पुत्री रामस्वरूप पत्नी गंगाधर जाति मीणा निवासी बराणा हाल मुकाम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
2. महेन्द्र आत्मज रामस्वरूप जाति मीणा निवासी जालिमपुरा तहसील दीगोद हाल मुकाम सेन्ट्रल जेल कोटा जिला कोटा(राज0)।

——वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप आत्मज सुन्दरा जाति मीणा निवासी ग्राम जालिमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल मुकाम पावर हाउस के पास बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा।
2. मुकेश आत्मज रामस्वरूप निवासी जालिमपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा हाल मुकाम पावर हाउस के पास बडोद तहसील दीगोद कोटा(राज0)।
3. गीता बाई पुत्री रामस्वरूप पत्नी चन्द्र प्रकाश जाति मीणा निवासी ग्राम मांडपुर तहसील अन्ता जिला बारां हाल निवास रामनगर तलाब पाडा वार्ड नम्बर 2 सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद तहसील दीगोद जिला बून्दी(राज0)।

——प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद सख्या 40/2018 में न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2019 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील स्वीकार फरमाई जावे।

2. उक्त अपील तारीख 27.02.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री घनश्याम नागर, एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 4 की ओर से श्री प्रदीप मेहरा अभिभाषक, एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की उक्त अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.11.2019 बहाल रखी जाता है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

यह डिक्री आज तारीख 27.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा